Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

150-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2023 (BHADRA 1, 1945 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 23rd August, 2023

No. 9-HLA of 2023/150/13747.— The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2023 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 9-HLA of 2023

THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Municipal (Amendment) Act, 2023. Short title.

2. In section 10 of the Haryana Municipal Act, 1973 (hereinafter called the principal Act,- Amendment of section 10 of Haryana Act 24 of 1973.

(i) in sub-section (3), for the figures, brackets, sign and word "(1), (2) and (4)", the figures, brackets and word "(1) and (2)" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 16th May, 2023;

(ii) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 16th May, 2023, namely:-

"(4) (a) The seats shall be reserved for the Backward Classes 'A' in every municipality and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in that municipality as one-half of the proportion of Backward Classes 'A' population to the total population in that municipality and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more; and such seats shall be allotted by draw of lots among three times of the number of seats, proposed for reservation of Backward Classes 'A', after excluding those seats already reserved for Scheduled Castes, drawn from those seats which are having the largest percentage

population of Backward Classes 'A' and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that the municipality shall have at least one member belonging to the Backward Classes 'A' if their population is two per centum or more of the total population of the municipality:

Provided further that where the number of seats so reserved for Backward Classes 'A' under this sub-section added to the number of seats reserved for the Scheduled Castes exceeds fifty per centum of the total number of seats in that municipality, then the number of seats reserved for the Backward Classes 'A' shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the seats reserved for the Backward Classes 'A' and Scheduled Castes not exceeding fifty per centum of the total seats in that municipality.

Explanation.- (1) For the purposes of reservation of Backward Classes 'A' under this sub-section, the population of the municipal area and the population of Backward Classes 'A' in that municipality shall be such as drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) on such date, as may be notified by the State Government.

Explanation.- (2) For the purposes of the second proviso, fifty per centum of the total seats in the municipality shall be taken as one-half of the total seats of the municipality rounded up to the next higher integer where the decimal value is 0.5 or more or rounded down to the next lower integer where the decimal value is less than 0.5.

(b) Not less than one-third of the total number of seats reserved under this sub-section shall be reserved for women belonging to the Backward Classes 'A' and such seats may be allotted by rotation and by lots amongst the wards reserved under this sub-section.";

(iii) in sub-section (5), for the words "Backward Classes", the words, sign and alphabet "Backward Classes 'A' " shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 16th May, 2023;

(iv) in sub-section (7), the sign, brackets and figure ", (4)" shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 16th May, 2023.

Amendment of section 203 of Haryana Act 24 of 1973.

3. In section 203 of the principal Act,-

(i) for the proviso to sub-section (1), the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that where an individual or a company applies for preparation or approval of town planning scheme over its land, then the un-built area shall not be declared and no resolution from the committee shall be required. In case an application is received from an individual or a company for the town planning scheme, the Deputy Commissioner shall forward the same alongwith all relevant documents to the State Government within a period of thirty days from the date of the receipt of the application. However, a resolution from the committee shall be required if the committee draws a town planning scheme for un-built area and building scheme for built area on its land or jointly with an individual or a company.";

(ii) in sub-section 2,-

(a) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(b) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that public notice shall not be required in case town planning scheme is applied by an individual or a company on its land.".

Repeal and savings.

4. (1) The Haryana Municipal (Amendment) Ordinance, 2023 (Haryana Ordinance No. 1 of 2023) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The composition of Municipalities is guided by the reservation policy contemplated in Article 243-T of the Constitution of India, wherein clause (6) provides that 'Nothing in this Part shall prevent the Legislature of a State from making any provision for reservation of seats in any Municipality or offices of Chairpersons in the Municipalities in favour of backward class of citizens.' Hon'ble Supreme Court of India *vide* its judgment dated 11.05.2010 in ***Dr. K. Krishna Murthy & Ors. Versus Union of India & Anr. (2010) 7 SCC 202*** while upholding the constitutional validity of the Article 243-T(6) observed that this provision enables State Legislatures to reserve seats and chairperson posts in favour of backward classes.

2. Hon'ble Supreme Court of India vide its judgment dated 04.03.2021 passed in writ petition (Civil) No. 980 of 2019 titled as Vikas Kishanrao Gawali Versus State of Maharashtra and others further observed that the State Legislation cannot simply provide uniform and rigid quantum of reservation of seats for Backward Classes in the Local Bodies across the State, that too without a proper inquiry into the nature and implications of backwardness by an independent Commission. The triple test conditions required to be complied with by the State before reserving seats in the Local Bodies for Backward Classes are as under:-

(1) To set up a dedicated Commission to conduct contemporaneous rigorous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness qua Local Bodies, within the State;

(2) To specify the proportion of reservation required to be provisioned, Local Body-wise, in the light of recommendations of the Commission, so as not to fall foul of over breadth; and

(3) In any case such reservation shall not breach the upper ceiling of 50% vertical reservation in favour of SCs/STs/OBCs taken together.

In another Writ Petition (Civil) No. 278 of 2022 titled `Suresh Mahajan Versus State of Madhya Pradesh and Another', the Hon'ble Supreme Court, vide its order dated 10.05.2022, has observed that until the triple test formality is completed 'in all respects' by the State Governments, no reservation for OBCs can be provisioned and directed all the State Governments and the respective State Election Commissions to abide by the same without fail to uphold the constitutional mandate.

Further, Hon'ble Punjab and Haryana High Court passed interim order dated 17.05.2022 in CM-3239-CWP-2022-IN CWP-18977-2021 with CM-3200-CWP-2022-IN CWP-21883-2021 to comply with the orders dated 10.05.2022 passed by the Hon'ble Supreme Court of India.

3. Haryana Backward Classes Commission was constituted *vide* Government notification dated 12.07.2022 of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department, among other functions, to study and recommend the proportion of reservation for backward classes required to be provisioned in Panchayati Raj Institutions and Municipalities in the State. The Commission has made recommendation to provide reservation for Backward Classes 'A' in the elections of municipalities for which amendment of Section 10 of the Haryana Municipal Act, 1973 is required. The seats shall be reserved for the Backward Classes 'A' in every municipality and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in that municipality as one-half of the proportion of Backward Classes 'A' population to the total population in that municipality**.**

4. The last census in India in which the data on caste was included was conducted in 1931. Since 1951 every census has published the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes only. Thus figures of population of Backward Classes 'A' are not available in the Census. Government has established Family Information Data Repository (FIDR) under the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) wherein the information about residents of Haryana constituted in families is available which is dynamically updated and periodically verified. As on 18th August, 2023 a total of 69,00,836 families with 2,76,72,355 number of persons have been registered in FIDR.

5. Hence, data available in FIDR has been considered for purpose of reservation for Backward Classes 'A' in the elections of municipalities. Reservation of seats for Backward Classes 'A' and fixation of total number of seats for each municipality shall be done on the basis of population figures including that of Backward Classes 'A' drawn from Family Information Data Repository established under the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) on such date as may be notified by the Government.

6. According to elector-population (EP) ratio, for every 1000 persons, the number of eligible electors is nearly 700 in State. As enrolling for Family Id is a voluntary process and there is a likelihood that in certain pockets a majority of residents may not have registered in FIDR, thus it has also been considered that where the population as drawn from Family Information Data Repository is less than 140 per centum of the number of electors registered in such areas as per the last published Electoral Roll, the population shall be considered equal to 140 per centum of the number of voters in the last published Electoral Roll of the area. Further, the limit for variation of population in wards of a municipality has been increased from 10 per centum to 20 per centum above or below the average population per ward by amending the Rule 7 of the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977 in consultation with State Election Commission, Haryana.

7. For incorporating the recommendation of Haryana Backward Classes Commission to provide eight per centum reservation for Backward Classes 'A' in the Offices of Presidents in the State of Haryana, a provision has been made under Rule 70A of the Haryana Municipal Election Rules, 1978 in consultation with the State Election Commission, Haryana.

8. To comply with the third condition of the triple test laid down by the Hon'ble Supreme Court of India, the total reservation in seats for Scheduled Castes and Backward Classes 'A' shall not exceed 50 per centum of the total number of seats in a municipality. If so happens then the number of seats reserved for Backward Classes 'A' shall be restricted to such largest number that shall lead to total seats reserved for Scheduled Castes and Backward Classes 'A' not exceed 50 per centum of the total number of seats in that municipality.

9. Hence, for provisioning the reservation to the Backward Classes 'A' in the seats of each municipality, an amendment is required to be carried out in Section 10 of the Haryana Municipal Act, 1973.

10. Further Urban Local Bodies Department grant approval of Town Planning Scheme within the area of municipal corporations in the State under the provision of Section 203 of the Haryana Municipal Act, 1973.

11. The proviso under the sub section (1) of the Haryana Municipal Act, 1973 provided that where an individual or a company applies for preparation/ approval of town planning scheme over its own land, then the un-built area shall not be declared. The committee shall pass a resolution for approval of town planning scheme within sixty days from the date such proposal is put up for its consideration for the first time, otherwise the Deputy Commissioner shall forward the proposal of the town planning scheme directly to the State Government.

12. Further sub section (2) of Section 203 of the Haryana Municipal Act, 1973 provided that when a scheme has been drawn up under the said provision the committee shall give public notice of such scheme and shall at the same time intimate a date not less than thirty days from the date of such notice by which any person may submit to the committee in writing any objection or suggestion with regard to such scheme which he may wish to make.

13. The above mentioned provision related to 'resolution from the committee' and 'requirement of public notice' discourages and delay the process of the grant of Town Planning Scheme. Further the T&CP Department grant license within municipal area and outside the municipal area under the provision of The Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (Haryana Act No. 8 of 1975) but there is no such condition in the said Act or policies to pass the resolution from the house and requirement of public notice.

14. Therefore with an objective of increasing the availability of quality of affordable housing, hence there is requirement to amend the provision related to requirement of 'resolution from the house' and 'requirement of public notice' in the Haryana Municipal Act, 1973. This will also help in getting the regulatory approvals in hassle free manner.

15. Therefore, it has been proposed that the existing proviso in sub section (1) of section 203 of the Haryana Municipal Act, 1973 may be substituted from the proposed provision that if town planning scheme is applied from an individual or a company then the resolution from the committee is not required and resolution is only required if the committee draws a town planning scheme for the unbuilt area and built up scheme for the built area on the committee land or jointly with an individual or a company. Accordingly, after the sub section (2) of Section 203 of the Haryana Municipal Act, 1973 proviso may be inserted that in case Town Planning Scheme is applied by an individual or a company on its own land then public notice is not required to be issued.

DR. KAMAL GUPTA,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh: R. K. NANDAL,
The 23rd August, 2023. Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2023 का विधेयक संख्या 9–एच०एल०ए०

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023
हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 में,– 1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 10 का संशोधन।

(i) उप–धारा (3) में, ''(1), (2) तथा (4)'' कोष्ठकों, अंकों, चिह्न तथा शब्द के स्थान पर, ''(1) तथा (2)'' कोष्ठक, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:–

''(4) (क) प्रत्येक नगरपालिका में पिछड़े वर्ग 'क' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी तथा इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस नगरपालिका में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस नगरपालिका की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या के अनुपात का आधा होंगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी; तथा अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को निकालने के बाद, ऐसी सीटें, उन सीटों, जिनमें पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, से प्राप्त पिछड़े वर्ग 'क' के आरक्षण हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या की अधिकतम तीन गुणा में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा आबंटित की जाएंगी तथा उत्तरवर्ती चुनावों में भी चक्रानुक्रम द्वारा आबंटित की जाएंगी:

परन्तु नगरपालिका में कम से कम एक सदस्य पिछड़े वर्ग 'क' से सम्बन्धित होगा, यदि उनकी जनसंख्या, नगरपालिका की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है:

परन्तु यह और कि जहाँ इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'क' के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस नगरपालिका में सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्ग 'क' तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस नगरपालिका में कुल सीटों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.– (1) इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'क' के आरक्षण के प्रयोजन हेतु, नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस नगरपालिका में पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की जाए।

व्याख्या.– (2) द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों हेतु, नगरपालिका में कुल सीटों का पचास प्रतिशत, जहां दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए अथवा जहां दशमलव मान 0.5 से निम्न है, तो निकटतम निम्न पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए, नगरपालिका की कुल सीटों के आधे के रूप में ली जाएगी;

(ख) इस उप–धारा के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई सीटें, पिछड़े वर्ग 'क' से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटों को इस उप–धारा के अधीन आरक्षित वार्डों में से चक्रानुक्रम द्वारा और लॉटस द्वारा आबंटित किया जा सकता है।'';

(iii) उप–धारा (5) में, ''पिछड़ा वर्गों'' शब्दों के स्थान पर, ''पिछड़े वर्ग 'क' '' शब्द, चिह्न तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(iv) उप–धारा (7) में, '',(4)'' चिह्न्, कोष्ठकों तथा अंक का लोप कर दिया जाएगा तथा 16 मई, 2023 से लोप कर दिया गया समझा जाएगा ।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 203 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 203 में,–

(i) उप–धारा (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु जहाँ कोई व्यक्तिक या कम्पनी अपनी भूमि के ऊपर नगर योजना स्कीम तैयार करने या अनुमोदन के लिए आवेदन करता/करती है, तब अनिर्मित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा तथा समिति से कोई भी संकल्प अपेक्षित नहीं होगा। यदि किसी व्यक्तिक या कम्पनी से नगर योजना स्कीम के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उपायुक्त आवेदन प्राप्त होने के तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सभी सम्बन्धित दस्तावेजों सहित उसे सरकार को भेजेगा। तथापि, समिति से संकल्प अपेक्षित होगा यदि समिति अपनी भूमि पर या किसी व्यक्तिक या कम्पनी के साथ संयुक्त रूप से अनिर्मित क्षेत्र के लिए नगर योजना स्कीम और निर्मित क्षेत्र के लिए भवन योजना बनाती है।'' ;

(ii) उप–धारा 2 में,–

(क) अंत में विद्यमान''।'' चिह्न के स्थान पर, '';'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखत परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु किसी व्यक्तिक या कम्पनी द्वारा अपनी भूमि पर नगर योजना स्कीम लागू की जाती है तो सार्वजनिक नोटिस अपेक्षित नहीं होगा।''।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

4. (1) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243न में वर्णित आरक्षण नीति द्वारा पालिकाओं की संरचना निर्देशित होती है। इसके खंड (6) में प्रावधान है कि ''इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान–मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी पालिका में स्थानों के या पालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।'' भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **डॉ0 के0 कृष्ण मूर्ति व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2010) 7 एस.सी.सी. 202** के मामले में दिनांक 11.05.2010 के अपने निर्णय में अनुच्छेद 243न (6) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि यह प्रावधान राज्य विधानमंडलों को पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटें और अध्यक्ष के पद आरक्षित करने में सक्षम बनाता है।

2. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 की याचिका (सिविल) संख्या 980 शीर्षक विकास किशनराव गवाली बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में दिनांक 04.03.2021 को पारित अपने फैसले के माध्यम से आगे कहा कि राज्य विधान, राज्य भर में, एक स्वतंत्र आयोग द्वारा पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की उचित जांच के बिना स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की एक समान और कठोर मात्रा प्रदान नहीं कर सकता है। पिछड़े वर्गों के लिए स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करने से पहले राज्य द्वारा अनुपालन की जाने वाली तीन परीक्षण शर्तों का निम्नानुसार पालन किया जाना अपेक्षित है–

(1) राज्य में स्थानीय निकायों के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करना;

(2) आयोग की सिफारिशों के दृष्टिगत, स्थानीय निकाय–वार प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण के अनुपात को विनिर्दिष्ट करना, ताकि अत्याधिकता न हो; और

(3) किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में 50 प्रतिशत ऊध्वार्धर आरक्षण की ऊपरी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा।

एक अन्य याचिका (सिविल) संख्या 278 आफ 2022 शीर्षक सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.05.2022 में कहा गया है कि जब तक राज्य सरकारों द्वारा 'सभी तरह से' ट्रिपल टैस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं की जाती है, तब तक राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता है और सभी राज्य सरकारों व सम्बन्धित राज्य चुनाव अयोगों को संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के लिए इसका पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।

आगे, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 18977–2021 में सी.एम.–3239–सी.डब्लयू.पी.–2022 के साथ सिविल याचिका संख्या 21883–2021 में सी.एम.–3200–सी.डब्लयू.पी.–2022 में दिनांक 17.05.2022 को पारित अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2022 को पारित किए आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए गये हैं।

3. सरकार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.07.2022 द्वारा, अन्य कार्यों के साथ–साथ, राज्य में, पंचायती राज संस्थाओं और पालिकाओ में पिछड़े वर्गों के लिए किए जाने वाले प्रावधान में आरक्षण के अनुपात का अध्ययन और सिफारिश करने के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने पालिकाओं के चुनावों में पिछड़े वर्गों 'क' के लिए आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है जिसके लिए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में संशोधन आवश्यक है। प्रत्येक पालिका में पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस पालिका में कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस पालिका की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़ा वर्ग 'क' की जनसंख्या के अनुपात की आधी होंगी।

4. भारत में अंतिम जनगणना 1931 में की गई थी, जिसमें जाति आधारित आंकड़ें शामिल किये गये थे। 1951 के बाद से प्रत्येक जनगणना में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रकाशित की गई है। इस प्रकार जनगणना में पिछड़ा वर्ग 'क' की जनसंख्या के आंकडे उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के तहत परिवार सूचना डाटा कोष (एफ.आई.डी.आर.) की स्थापना की है, जिसमें परिवारों में गठित हरियाणा के निवासियों के बारे में जानकारी उपलब्ध है जिसे गतिशील रूप से अद्यतन और समय–समय पर सत्यापित किया जाता है। 18 अगस्त, 2023 तक एफ.आई.डी.आर. में 2,76,72,355 व्यक्तियों के साथ कुल 69,00,836 परिवारों को पंजीकृत किया गया है।

5. इसलिए, पालिकाओं के चुनावों में पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षण के प्रयोजनार्थ एफ.आई.डी.आर. में उपलब्ध आंकड़ों पर विचार किया गया है। पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए सीटों का आरक्षण और प्रत्येक पालिका के लिए पिछड़े वर्ग 'क' सहित सीटों की कुल संख्या, ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के तहत स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या के आधार पर नियत की जाएगी।

6. मतदाता–जनसंख्या (ईपी) अनुपात के अनुसार, राज्य में, प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर योग्य मतदाताओं की संख्या लगभग 700 है। चूंकि, परिवार पहचान पत्र के लिए नामांकन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और इस बात की संभावना है कि कुछ क्षेत्रों में अधिकांश निवासियों ने एफ.आई.डी.आर में पंजीकरण नहीं कराया हो, इस प्रकार यह भी विचार किया गया है कि जहां परिवार सूचना डाटा कोष से ली गई जनसंख्या, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत से कम है, तो क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत के बराबर जनसंख्या पर विचार किया जाएगा। आगे, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के परामर्श से हरियाणा नगरपालिका परिसीमन नियम, 1977 के नियम 7

में संशोधन करके पालिका के वार्डों में जनसंख्या भिन्नता की सीमा को प्रति वार्ड औसत जनसंख्या से ऊपर या नीचे 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है।

7. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुरूप हरियाणा राज्य में अध्यक्षों के पदों में पिछड़े वर्गों 'क' के लिए आठ प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के परामर्श से हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 70क के तहत प्रावधान किया गया है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ट्रिपल टैस्ट की तीसरी शर्त के अनुपालन में, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या, पालिका में कुल सीटों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यदि ऐसा होता है तो पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस पालिका में कुल सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

9. इसलिए, प्रत्येक पालिका की सीटों में पिछड़े वर्गों 'क' के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के लिए, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

10. शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203 के प्रावधान के तहत राज्य में नगरपालिका समिति/परिषद के क्षेत्र के भीतर नगर नियोजन योजना की मंजूरी देता है।

11. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203 की उपधारा (1) के तहत यह प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपनी भूमि पर नगर नियोजन योजना की तैयारी/अनुमोदन के लिए आवेदन करता है, तो गैर निर्मित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाऐगा। पालिका इस तरह के प्रस्ताव को पहली बार विचार के लिए रखे जाने की तारीख से साठ दिनों के भीतर नगर नियोजन योजना के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव पारित करेगी, अन्यथा उपायुक्त नगर नियोजन योजना के प्रस्ताव को सीधे राज्य सरकार को भेज देगा।

12. आगे हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203 की उपधारा (2) के तहत प्रावधान के अधीन अगर कोई योजना तैयार की जाती है तो पालिका ऐसी योजना के संबंध में सर्व साधारण से सार्वजनिक सूचना के माध्यम से कोई भी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में जिसे वह करना चाहता है 30 दिनों के भीतर पालिका को प्रस्तुत कर सकता है।

13. उपरोक्त वर्णित, पालिका द्वारा प्रस्ताव को पारित करना एवं सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान नगर आयोजना योजना के अनुदान की प्रक्रिया को हतोत्साहित और विलंबित करता है। आगे, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975, (हरियाणा अधिनियम संख्या 8, का 1975) के प्रावधान के तहत नगरपालिका क्षेत्र के भीतर और नगरपालिका क्षेत्र के बाहर लाइसैंस प्रदान करता है, लेकिन उक्त अधिनियम या नितियों में सदन से प्रस्ताव पारित करने तथा सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता जैसी कोई शर्त नहीं है।

14. इसलिए किफायती आवास की गुणवत्ता की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 में पालिका से प्रस्ताव पारित करने तथा सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह परेशानी मुक्त तरीके से विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने में भी सहायक होगा।

15. इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203 की उपधारा (1) में मौजूदा प्रावधान को प्रस्तावित से प्रतिस्थापित किया जाये कि यदि नगर नियोजन योजना किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा अपनी भूमि पर लगाई जाती है तो पालिका द्वारा प्रस्ताव को पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी और पालिका द्वारा प्रस्ताव पारित की आवश्यकता केवल तभी होगी जब पालिका अपनी भूमि पर गैर–निर्मित क्षेत्र में नगर नियोजन योजना और निर्मित क्षेत्र में निर्मित योजना या पालिका द्वारा इकट्ठे किसी व्यक्ति या कंपनी की भूमि पर नगर नियोजन योजना बनाती है। तदानुसार, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203 की उपधारा (2) के बाद यह प्रावधान जोड़ा जाना प्रस्तावित है कि यदि किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपनी भूमि पर नगर नियोजन योजना लागू की जाती है तो सार्वजनिक सूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगीं।

डॉ० कमल गुप्ता,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 23 अगस्त, 2023

आर० के० नांदल,
सचिव।